# मीरजापुर पुलिस

**—प्रेस नोट—**

दिनांकः 12.09.2025

**थाना चुनार क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिरल्लीपुर में हुई गो हत्या की घटना से सम्बन्धित 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

थाना चुनार जनपद मीरजापुर पर दिनांकः11.09.2025 को वादी अखिलेश कुमार यादव पुत्र मोहनलाल यादव निवासी पिरल्लीपुर थाना चुनार जनपद मीरजापुर द्वारा सूचना दी गयी की रात में उनके घर के बाहर बंधी गाय को अज्ञात अभियुक्तगण खोल ले गये तथा कुछ दूरी पर एक खण्डहर मकान में गाय के अवशेष प्राप्त हुए । थाना चुनार पुलिस द्वारा वादी के तहरीर पर मु0अ0सं0-440/2025 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उ.प्र. पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में टीमों का गठन कर अभियोग को अनावरित कर व घटना में सम्मलित सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना चुनार को निर्देश दिये गये। दिनांक 11.09.2025 को थाना चुनार पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन व मुखबीर की सूचना के आधार पर थाना चुनार क्षेत्र से घटना से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 नफर अभियुक्त सेराज पुत्र स्व0 रोज्जन निवासी गरौड़ी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। थाना अहरौरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया । घटना से सम्बन्धित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 440/2025 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश, थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

सेराज पुत्र स्व0 रोज्जन निवासी गरौड़ी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्र भूषण मौर्य मय पुलिस टीम थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

ARMANI
EXCHANGE

************